

प्रेषक,

के० के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

807

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2011

विषय: बेलहा बहरौली तटबंध के किमी 64-00 के निकट ग्राम घुरेहरीपुर में स्थित स्पर के अपस्ट्रीम शेक के 54-00 मी० से 460-00 मी० तक बोल्टर से स्लोप पिचिंग व लॉचिंग एग्रन डालकर पुर्नस्थापना के कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1457/आपदा-तेरह-परिसम्पत्ति मरम्मत/11, दिनांक 08.08.2011 तथा आयुक्त, देवी पाटन मण्डल गोण्डा के पत्र संख्या-4466/आर०ए०-प्रथम/दैवी आपदा/बैठक/11, दिनांक 19.8.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1550/1-10-2011-12(34)/2011, दिनांक 18.5.2011 द्वारा जनपद बहराइच को क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु रू० 441.92 लाख की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी। तत्कम में मण्डल स्तरीय राहत समिति एवं राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णयानुसार मिट्टी के कार्य हेतु विभिन्न 19 परियोजनाओं के लिये निर्गत धनराशि रू० 312.12 लाख को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर आपातकालीन परियोजना, बेलहा बहरौली तटबंध के किमी 64-00 के निकट ग्राम घुरेहरीपुर में स्थित स्पर के अपस्ट्रीम शेक के 54-00 मी० से 460-00 मी० तक बोल्टर से स्लोप पिचिंग व लॉचिंग एग्रन डालकर पुर्नस्थापना के कार्य हेतु रू० 3,11,39,000/- (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2 प्रश्नगत परियोजना पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के कारण अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि नियमानुसार दिनांक 31.3.2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दी जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 में विहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

भवदीय

12.12.08
(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-4318 (1)/1-10-2011-33(394)/11, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार- प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 2-आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 3-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 4-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन।
- 5-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7-समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

21/12/11

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।